(b) if so, the details of these suggestions together with reason therefor;

(c) whether some system is already in existence;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether these suggestions will make the SEBI to protect investors' interests and monitor issue of shares in any way; and

(f) if so, the details thereof and steps to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The Report of a Technical Group constituted by the Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL), which also included a representative of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), has recommended the establishment of depositories for stock exchanges.

(b) The Report has, inter-alia, recom mended that it is desirable to provide for the establishment of more than one depository in order to encourage compe nsation and to ensure against any market disruption arising from dependence upon a single depository, and that Government should initiate steps to bring forward a separate legislation relating to deposi tories. These recommendations have been made keeping in view the substan tial growth in the volume of trading in securities in Stock Exchanges and the need to provide the required legal framework.

(c) and (d) BOI Shareholding Ltd. is providing some of the Depository services in the Bombay Stock Exchange. Under this system, settlement of shares in the "specified' group taken place on book-entry basis without movement of physi cal documents from one member of the Exchange to another.

(e) and (f) The establishment of depo-sitories would enable SEBI to protect further the interests of investors by ensuring greater transparency in the working of the stock market and by minimising complaints of investors relating to "bad deliveries" of documents, loss of share certificates in transit and delays in transfer of ownership of securities. The establishment of depositories would, how ever, be possible only after an approptiate legislative framework is created.

विदेशी और भारतीय बैंकों द्वारा "क्रेडिट-कार्ड" की सुविधा

1992. श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी और भारतीय बैंक "क्रेडिट कार्ड" सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ बैंक अत्याधिक सेवा-प्रभार, वार्षिक प्रभार और एडमिशन फीस ले रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ बैंक ऋण-राशि पर 36 प्रतिशत ब्याज लेते हैं :

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी बकों को, जो "क्रेडिट कार्ड" उपलब्ध करा रहे हैं कुछ दिशा-निर्देश जारी करेगी ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ज) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों आदि को भी यह सुविधा उपलब्ध कराएगी ;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) उन भारतीय और विदेशी बैंकों का ब्यौरा विवरण (नीचे देखिए) में दिया गया है जिनकी या तो अपनी स्वयं की क्रेडिट कार्ड सुविधायें हैं या फिर नाल-मेल व्यवस्था के अन्तर्गत क्रेडिट कार्ड सुविधा है ।

(ग) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकों को क्रेडिट कार्ड कारोबार सहित उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों के संबंध में कोई निदेश मार्ग-निर्देश जारी नहीं किए हैं । तथापि, बैंकों द्वारा निर्धारित समय के भीतर न निपटाए गये कार्ड की देयराशियों पर "सेवा-प्रभार" के नाम से जाना जाने वाला एक देरी से भुगतान के लिए प्रभार लिया जाता है। ऐसे प्रभार की सीमा 2 से 2.5 प्रतिशत मासिक के बीच होती है ।

बैंक अपने कार्डों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, अर्थात प्रीमियम, गैर-प्रीमियम और मध्य स्तरीय कार्डों कुछ बैंक उन्हें गोल्ड, एक्सक्युटिव और क्लासिक कार्डों में वर्गीकृत करते हैं । वार्षिक सदस्यता शुल्क और प्रवेश शुल्क इत्यादि के रूप में प्रवेश के मानदण्ड कार्डों की श्रेणियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं ।

(ञ) से (ञ) देना बैंक द्वारा शुरू किए गए देना कृषि साख पत्र की तरह ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अप्रैल 1988 में किसानों के लिए क्रेडिट से कार्ड योजना शुरू करने पर विचार करने के लिए कहा गया था । उन किसानों को ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं जिनका पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड अच्छा है ।

विवरण

I. ये बैंक जिन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है ।

क्रम सं०	बैंक का नाम
1	आंध्र बैंक
2	बैंक आफ बड़ौदा
3	बैंक आफ इंडिया
4	केनरा बैंक
5	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
6	विजया बैंक
7	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक
8	एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक
9	बैंक आफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एंड सेविंग्स एसोसिएशन
10	सिटी बैंक
11	हांगकांग एंड शांघई बैंकिंग कार्पो० लि०
12	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

II. दूसरे बैंकों के साथ तालमेल व्यवस्था रखने वाले बैंक :

क्र०सं०	बैंक का नाम	उन बैंकों के नाम जिनके साथ तालमेल व्यवस्था की गई है
1	इलाहाबाद बैंक	बैंक आफ इंडिया
2	बैंक आफ महाराष्ट्र	बैंक आफ इंडिया
3	कारपोरेशन बैंक	केनरा बैंक
4	देना बैंक	केनरा बैंक
5	इंडियन ओवरसीज बैंक	केनरा बैंक
6	ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स	बैंक आफ इंडिया
7	पंजाब एंड सिंध बैंक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
8	सिंडीकेट बैंक	केनरा बैंक
9	यूनियन बैंक आफ इंडिया	केनरा बैंक
10	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
11	बैंक आफ मदुरा लि०	केनरा बैंक
12	फेडरल बैंक लि०	बैंक आफ बड़ौदा
13	कर्नाटक बैंक लि०	केनरा बैंक
14	करूर वैश्य बैंक लि०	केनरा बैंक
15	लक्ष्मी विलास बैंक लि०	केनरा बैंक
16	सांगली बैंक लि०	केनरा बैंक
17	साउथ इंडियन बैंक लि०	बैंक आफ इंडिया
18	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि०	बैंक आफ इंडिया
19	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०	बैंक आफ इंडिया
20	वैश्य बैंक लि०	सिटी बैंक